... को ... चाहते हैं। अतः बास्ते बहस पत्रावली दि० 13-4-15 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली दि० 17-4-15 को पेश हो।

रीडर

17-4-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। बहस हेतु पत्रावली दि० 22-4-15 को पेश हो।

22-4-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली दि० 6-5-15 को पेश हो।

रीडर

6-5-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। बहस हेतु पत्रावली दि० 18-5-2015 को पेश हो।

18-5-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली दि० 13-6-15 कैम्प ...

रीडर

13-6-2015 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर बामनबडौदा पर पेश हुई। वादी रामरूप व प्रतिवादी कमल, नवल, हरकेश उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख०नं० $\frac{701}{983}$ ग्राम बामनबडौदा की रजिस्ट्री वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में एक माह में रजिस्ट्री करवा देगा। इसी आधार पर वादी अपना दावा वापिस लेना चाहता है। वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे।

2672-75
9-6-15

रामरूप माली

अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को वाद वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दा०द० हो।

कमलमाली

नवल माली

हरकेश

(सतीश कुमार शर्मा, Adv.) — सदस्य, लोक अदालत, गंगापुर सिटी

(मुनि देव यादव) — अध्यक्ष, लोक अदालत, गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर

नम्बर
अहका
हुक्म
में ज

5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) बामनबडौदा

पीठासीन अधिकारी--: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

रामरूप पुत्र कन्हैया, माली निवासी नदी की ढाणीं बामनबडौदा तहसील गंगापुरसिटी ----वादी

बनाम

1. कमल पुत्र कन्हैया, माली निवासी चिरोली हाल निवासी टंकी के पास बामनबडौदा
2. नवल पुत्र कन्हैया, माली निवासी चिरोली हाल निवासी टंकी के पास बामनबडौदा
3. हरकेश पुत्र कन्हैया, माली निवासी चिरोली हाल निवासी टंकी के पास बामनबडौदा

----प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली

मुकदमा नं. – 78 / 2012

वादी की ओर से वादी रामरूप पुत्र कन्हैया माली व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कमल, नवल, हरकेश पुत्रगण कन्हैया की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 19.6.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रस्तुत दावा खारिज करने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	